थर्मल कॉलोनी के नाम पर सरकारी धन का अपव्यय

अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती अधबनी कॉलोनी

यमुनानगर (म.मो.) किसी भी थर्मल प्लांट को लगाने का पहला नियम, उसमें काम करने वाले स्टाफ़ के लिए रिहायशी कॉलोनी बनाना है। इसलिए जब भी किसी थर्मल प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होता है तो उससे पहले वहां रिहायशी कॉलोनी बनाई जाती है। यह इसलिए जरूरी है कि प्लांट को चौबीसों घंटे चलना होता है, स्टाफ़ रात-दिन की शिफ्टों में आता-जाता है। इसके अलावा न जाने कब किस वक्त किस स्टाफ़ की जरूरत पड़ जाये। स्टाफ़ को आने-जाने में दिक्कत न हो, इसलिए स्टाफ़ कॉलोनी प्लांट के साथ ही बनाई जाती है।

खेदड़ का प्लांट चालू होने से पहले वहां की कॉलोनी पूरी तरह से बन कर तैयार हो चुकी है, बल्कि अधिकांश स्टॉफ़ उसमें बस भी गया है। इसके विपरीत यमुनानगर प्लांट जो इसे कई वर्ष पहले बना था, उसकी कॉलोनी आज तक भी बन कर तैयार नहीं हुई है और न ही तैयार होने के कोई आसार नज़र आते हैं। जानकारों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने पहले कभी यह परियोजना खुद न चला कर एनटीपीसी को दे दी थी। उसी के अनुसार एनटीपीसी ने वहां तुरंत सैंकड़ों मकानों की कॉलोनी खड़ी कर दी। इस बीच हरियाणा सरकार की सोच बदल गई और इसे एनटीपीसी ले कर खुद चलाने लगी। जनता के पैसे को बेदर्दी से लुटाने वाली इस सरकार ने सैंकड़ों करोड़ की लागत से उस बनी-बनाई कॉलोनी को रद्द कर दिया और अपनी ही एक एजेंसी एचएसआई डीसी (हरियाणा स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन) को नई कॉलोनी बनाने क काम सौंप दिया। एचएसआईडीसी पिछले करीब पांच साल से इस काम को करने का नाटक खेल रही है। इस दौरान जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, वे निहायत ही घटिया स्तर के हैं। इतने घटिया कि इससे घटिया शायद ही कोई अन्य हों। जबकि एनटीपीसी द्वारा इसे पहले के बनाये गये अधूरे मकान इनसे बेहतर हालत में आज भी खड़े हैं। जाहिर है, यह सब केवल और केवल जनता के खून-पसीने की कमाई को नोच-नोच कर खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है।

कॉलोनी न होने की वजह से प्लांट के स्टाफ़ को 10 से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर के ड्यूटी पर आना पड़ता है। ऐसे में वक्त-बेवक्त किसी संकटकालीन स्थिति में किसी स्टॉफ़ को आना पड़े तो कितनी कठिनाई व प्लांट का नुकसान होता होगा, समझना कठिन नहीं है।

थर्मल कॉलोनी की दुर्दशा

पानीपत (म.मो.) थर्मल प्लांट की 8 यूनिटों को चलाने के लिए इसके हज़ारों कर्मचारियों की रिहायश के लिए यहां काफ़ी बड़ी कॉलोनी का निर्माण प्लांटों के साथ ही कर दिया गया था। इस कॉलोनी में जितनी ज़मीन पर मकान बने हैं, उससे कई गुणा ज़मीन वहां उजाड़ पड़ी है, जिसमें सरकंडे व अन्य झाड़-झंखाड़ खड़े हैं। कई बार सरकंडों में लगी आग से प्लांट के स्टोर में भी आग लग चुकी है, जिससे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस उजाड़ पड़ी ज़मीन के कई हिस्सों पर लोग़ों ने अवैध निर्माण तक कर के कब्ज़े कर लिए। किसी ने डेरा सच्चा सौदा तो किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने पीर बाबा तो किसी ने सांई बाबा मंदिर तो किसी ने भीमराव अंबेडकर भवन और सबसे बड़ा कब्ज़ा तो सनातन धर्म के कारोबारियों ने कर रखा है। यहां किसी को किसी से स्वीकृति आदि लेने की जरूरत नहीं। जिसका जहां भी जी करे जो जी करे बनाओ, कोई पूछने वाला नहीं।

एक ने तो वहां बाकायदा दुकान बना कर बीकानेर स्वीट्स को 5000 रुपये मासिक किराये पर भी दे दी है। ऐसा बढ़िया रामराज तो देश में शायद ही कहीं देखने को मिले। इसी की देखादेखी यमुनानगर व खेदड़ की कॉलोनियों में भी इसी तरह के काम शुरू हो चुके हैं। यदि सरकार का आशीर्वाद यूं ही बना रहा तो यहां भी पानीपत की तरह शीघ्र कब्ज़े हो जायेंगे। अचरज की बात तो यह है कि यहां पर सिविल के चार एक्सइएन व एक एसई बैठते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि प्रत्येक एक्सइएन के नीचे कम से कम दो एसडीओ और एक एसडीओ के नीचे कम से कम दो जेई तो अवश्य ही होते हैं। कहने का अभिप्राय, सारा तामझाम मिला कर यह करोड़ों रुपये मासिक का खर्चा जनता के सिर पर बेमतलब का बोझ है। पूरी कॉलोनी एवं प्लांटों में किसी तरह से भी एक एसडीओ से अधिक का काम नहीं है। सरकारी वन विभाग को लाखों रुपये का पौधारोपण का ठेका दिये जाने के बावजूद ये सफ़ेद हाथी (सिविल इंजीनियर) यहां ढंग से पौधारोपण तक नहीं करा पाये। पूरे क्षेत्र में हरियाली का नामोनिशान नहीं। कोई पार्क नहीं, आवारा पशु और बाहर के आवारा असामाजिक तत्व वहां खुलेआम घूमते रहते हैं।

सिविल इंजीनियरिंग का एक नमूना

सरकारी अदूरदर्शिता का एक और नमूना यहां देखने के मिलता है। यूनिट-8 के निर्माण में बाधक बने कॉलोनी के करीब पचासों मकानों को तोड़ दिया गया। कोई यह पूछने वाला नहीं कि जब योजना का नक्शा बनाया गया था तो क्या अधिकारियों की अक्ल घास चरने गई हुई थी। और अब भी यदि नक्शानवीस अक्ल का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेते तो इन मकानों को बचाया जा सकता था। पर क्यों बचा लें? किसी के घर से क्या जा रहा है? जो जा रहा है, वह जनता का माल है, जिसे जैसे मर्जी खाओ और बर्बाद करो।

पुलिस के सहयोग से कुचला मज़दूरों का संघर्ष

फरीदाबाद (इंकलाबी मज़दूर केंद्र) शेखर ब्रदर्स प्रा. लि., प्लॉट नं.58, सेक्टर-6 शीट मेटल कंपोनेंट बनाने की कंपनी है। यह कंपनी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर लि., मारुति उद्योग लि., फार्म ट्रैक आदि कंपनियों को कल-पुर्जों की आपूर्ति करती है। इस कंपनी में 150 के लगभग मज़दूर काम करते हैं। मजेदार बात यह है कि यह कंपनी बिना स्थाई मज़दूरों के ही चलती है। कई सालों से चल रही इस कंपनी में मज़दूरों का कोई मस्टर रोल रजिस्टर भी नहीं है।

श्रम कानूनों की बात करना भी यहां हास्यास्पद है। यहां मज़दूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में शौचालय नहीं है। शौचालय दो हैं।

एक स्टॉफ़ के लोग़ों के लिए है, दूसरा मज़दूरों के लिए। लेकिन शौचालयों के दरवाजों पर ताला लगा रहता है। और इस ताले की चाबी मांगना मज़दूरों के लिए प्रतिबंधित है। शौच जाने के लिए मज़दूरों को गेट पास ले कर बाहर जाना होता है और इस दौरान का समय मज़दूर के कार्य दिवस में से काट लिया जाता है।

इस कारखाने में मज़दूरों को जानवरों की तरह पीटना मालिक अपना जनमसिद्ध अधिकार समझते हैं। कारखाने में 11 माह से अधिक किसी मज़दूर को टिकने नहीं दिया जाता है। 11 माह में हर मज़दूर का हिसाब कर दिया जाता है और बाहर होने वाले मज़दूरों की जगह नये मज़दूर भर्ती कर लिये जाते हैं।

आखिर शेखर ब्रदर्स के मालिक श्रम कानूनों की धज्जियां सालों साल से कैसे उड़ा रहे हैं? यह कोई अबूझ पहेली नहीं है। स्थानीय पुलिस चौकी से ले कर रम विभाग के अधिकारियों से मालिकान के मधुर रिश्ते हैं। कंपनी में मज़दूर कभी छोटा-मोटा विरोध करते हैं तो स्थानीय चौकी के हेड कांस्टेबल मुस्तैदी से शेखर ब्रदर्स मालिकान की सेवा में हाज़िर हो जाते हैं और श्रम विभाग के अधिकारी कभी कारखाने में झांकने भी नहीं जाते।

विगत माह कंपनी के मालिक के सुपुत्र मयंक एक मज़दूर धनंजय की किसी बात पर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उसे तड़ातड़ थप्पड़ रसीद कर दिये। इतने पर भी मन नहीं भरा मज़दूर का कान पकड़ कर कारखाने की परिक्रमा कर उसका अपमान करने से भी वे बाज नहीं आये।

इस घटना से मज़दूरों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने इंकलाबी मज़दूर केंद्र से इस संबंध में संपर्क किया। एक बैठक के बाद मज़दूरों ने तय किया कि वे 2 जुलाई को कंपनी जाने के बजाय स्थानीय पुलिस चौकी में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायेंगे। 2 जुलाई को कारखाने के 150 मज़दूर जुलूस बना कर सेक्टर-7 पुलिस चौकी में मालिक के पुत्र के खिलाफ़ मारपीट व उत्पीड़न की शिकायत ले कर पहुंचे। चौकी प्रभारी ने मालिक को बुलाया और मालिक ने तुरत-फुरत बिना कुछ बहस किये माफ़ी मांग ली। मज़दूर खुश हो गये। मालिक के बड़े दिल के मुरीद हो गये।

इस घटना के बाद इंकलाबी मज़दूर केंद्र के स्थानीय नेता नरेश कुमार के पास मालिक व हेड कांस्टेबल के फ़ोन आने लगे। मुलाकात का आग्रह उनके द्वारा बार-बार होने के बाद जब नरेश उनके सामने उपस्थित हुए तो खुलेआम हेड कांस्टेबल साहब खुल कर मोल-तोल की बात करने लगे। मज़दूरों की समस्याओं के संबंध में मज़दूरों की बैठक, सभा या श्रम विभाग जाने के बजाय उनकी सादर सेवाओं का लाभ लेने की बात हेड कांस्टेबल साहब ने प्रेमपूर्वक समझाई।

इस बीच मज़दूरों को मालिकान के तेवर देख कर उसकी ओर से बदले की भावना से कार्यवाही करने का पूर्वाभास हो गया। इस बात से सशंकित मज़दूरों ने एक बैठक कर एक मांगपत्र श्रम विभाग को इंकलाबी मज़दूर केंद्र के माध्यम से सौंपने का निर्णय किया। इस बैठक की खुफ़िया सूचना मालिक तक पहुंच गई। तब क्या था? सेक्टर-7 के हेड कांस्टेबल साहब फ़ोन पर इमके नेता नरेश कुमार से बहुत खफ़ा हुए तथा बैठकों बाज़ आने की बात करने लगे और एक बार फ़िर अपनी उपयोगिता का महत्त्व समझाने लगे।

इस बीच इंकलाबी मज़ददूर केंद्र ने हेड कांस्टेबल साहब के अनुग्रह-आग्रह को तवज्जो नहीं दी तो मालिक ने पहले दो मज़दूरों और फ़िर छः मज़दूरों की सेवायें जबरन खत्म कर दी। खुद मज़दूर धनंजय जिसे मालिक के सुपुत्र ने प्रताड़ित व अपमानित किया था, को हिसाब दिलाने में पुलिसिया रौब का प्रदर्शन करने के लिए हेड कांस्टेबल साहब कारखाने में तशरीफ़ लाये थे और उन्होंने अपने पुनीत कर्त्तव्य का निर्वहन भी किया।

मालिकान व स्थानीय पुलिस के गठजोड़ द्वारा किये गये इस हमले से मज़दूर स्तब्ध रह गये। उन्होंने 5 जुलाई को एक बैठक कर 6 जुलाई को श्रम न्यायालय में दरख्वास्त देने की योजना बनाई। 6 जुलाई को सभी श्रमिक श्रम न्यायालय (उप श्रमायुक्त कार्यालय) पहुंचे जहां से उनहें सेक्टर-6 के संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय भेज दिया गया।

श्रम अधिकारी के बुलाने पर मालिकान का वकील पहुंचा। मज़दूरों द्वारा कारखाने का मस्टर रोल रजिस्टर व अन्य रिकार्ड मंगाने की मांग को कंपनी वकील ने नकार दिया और श्रम अधिकारी चुपचाप सुनते रहे और अपने विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने चार दिन बाद की तारीख दे दी। चार दिन मालिक के लिए मज़दूरों की एकता तोड़ने के लिए काफ़ी थे। ऐसे में जब मज़दूरों को न्यूनतम वेतन ही मिलता हो और पिछले माह की तनख्वाह का भुगतान नहीं हुआ हो। खैर, मज़दूरों ने फ़ैक्टरी गेट के आगे मोर्चा लगाने का निर्णय लिया। 7 व 8 जुलाई को मोर्चा लगा रहा। पुलिस की जिप्सी पहले ही वहां तैनात थी। उनके द्वारा मज़दूरों को नारेबाजी तक न करने के लिए धमकाया गया। मज़दूरों ने दो दिन तक पुरजोर जोशो-खरोश से अपना आंदोलन जारी रखा। फ़ैक्टरी गेट पर मालिकान व प्रबंधन का पुतला-दहन किया। लेकिन राशन-पानी से ले कर किराया, सभी कुछ के लिए तनख्वाह पर निर्भर मज़दूरों के लिए अधिक दिन तक टिकना बहुत कठिन साबित हुआ और अधिकांश ने अपना हिसाब ले लिया। मालिकान, ठेकेदार, श्रम विभाग व स्थानीय पुलिस, सभी ने राहत की सांस ली।

इस तरह मज़दूरों का एक स्वत:स्फूर्त आक्रोश समाप्त हो गया। शेखर ब्रदर्स प्रा. लि. के मज़दूरों के हालात फरीदाबाद के अधिकांश कारखानों के हालातों के समान ही हैं। हर जगह मालिकान स्थानीय पुलिस-प्रशासन व श्रम विभाग के रहमोकरम व कृपा से निश्चिंत हो कर श्रम कानूनों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में नीलू प्रिटिंग प्रैस, प्लॉट नं 3/1, टीसीसी कॉम्पलैक्स, सेक्टर-10, फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06